संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 फरवरी 1974

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरुप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

आपका सत्र इस बार कठिनाई और परीक्षा की घड़ी में आरम्भ हो रहा है। कीमतें बढ़ने, आवश्यक वस्तुओं की कमी और हड़ताल, बंद व असंतोष जिसने देश के कुछ भागों में हिंसात्मक रूप ले लिया है और जिससे उत्पादन व वितरण में रुकावटें हुई हैं, के कारण जनसाधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय तेल संकट का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इन अप्रत्याशित घटनाओं से हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की गति निश्चय ही धीमी पड़ी है। इस स्थिति में लोगों की चिन्तित मनोदशा स्वाभाविक है। मुझे उन लोगों, विशेष रूप से निर्धन वर्ग वालों से जिन्हें कष्ट उठाना पड़ा है, गहरी सहानुभूति है। शायद ही कमी किसी देश के सामने लगातार एक के बाद एक इतनी बड़ी समस्याएं आई होंगी, जितनी कि पिछले तीन वर्षों में हमारे सामने आई हैं। यह राष्ट्र की हिम्मत की निरन्तर परीक्षा का समय रहा है। राष्ट्र ने इन कठिनाइयों का सामना करते हुए विकास के मूल प्रयत्नों में रुकावटें नहीं आने दी हैं। इस उपलब्धि को नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि कठिन समय में रचनात्मक पक्षों पर हमारा ध्यान नहीं जाता।

कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी हैं। उनमें से एक यह है कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपने अन्तर्प्रदेशीय तनाव की समस्या का हल निकाल लिया है। एक साल पहले इस समस्या का समाधान असंभव सा लगता था। मैं इस राज्य के सभी वर्गों के लोगों को उनकी बुद्धिमानी और मेल-मिलाप की भावना के लिए बधाई देता हूं। छह सूत्री फार्मूले से इस राज्य के पूर्ण एकीकरण में सहायता मिलेगी और यहां के पिछड़े इलाकों का तेजी से विकास होगा।

आर्थिक क्षेत्र में दो आशाजनक प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं–निर्यात आय में वृद्धि हुई है और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कामों में सुधार हुआ है। लगभग दो साल पहले तक, हमारे निर्यात का धीमा विकास चिन्ता का कारण था, लेकिन 1972–73 से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इस साल हमारे निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1973–74 के पहले आठ महीनों में कई प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद, निर्यात में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें विश्वास है कि और ज्यादा राष्ट्रीय प्रयास से निर्यात काफी बढ़ाए जा सकते हैं।

इसी प्रकार करीब दो साल पहले हमारे सार्वजनिक उद्यमों में लगातार घाटा चिन्ताजनक था। यह संतोष की बात है कि सरकार के प्रयत्नों के कारण हमारे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने कुल मिलाकर अपने उत्पादन में वृद्धि की है और 1972–73 में पहली बार मुनाफा कमाया है। इस साल स्थिति और अच्छी होने की आशा है। सामान्य रूप से क्षमता का उपयोग बढ़ेगा, कुछ यूनिटों में मुनाफा ज्यादा होने की आशा है और दूसरे यूनिटों के घाटे में भारी कमी होगी।

बढ़ती हुई कीमतें और खाद्यान्नों की कमी, विशेषकर अभावग्रस्त राज्यों में, जनसाधारण और सरकार के लिए चिन्ता का मुख्य विषय है। आशा थी कि 1973 की खरीफ की अच्छी फसल से कीमतों में स्थिरता आने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका एक कारण आंतरिक मुद्रास्फीति है। साथ ही, योजना कार्यक्रमों की लागत और सुरक्षा की जरूरतों पर व्यय को बिना कम किए पहले की अपेक्षा सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम और सहायता की व्यवस्था करने के कारण सरकार के घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जरूरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट का भी हमारे देश पर असर पड़ा है। दुनिया के विभिन्न भागों में राष्ट्रों के बीच तनाव कम करने की दिशा में किए गए उपायों से विकासशील देशों की तेज प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण की आशा हुई थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति से नई और जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट और फिर कई वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि से भारत जैसे गरीब देशों पर दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक असर पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में लगभग उन सभी चीजों के दाम दो–चार गुना बढ़ गए हैं, जिन्हें हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जबकि हमारे अपने निर्यात की चीजों के दामों में यदि वृद्धि हुई भी है तो केवल नाममात्र की।

इन घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति, जमाखोरी, अनैतिक व्यापारियों की सट्टेबाजी तथा प्रबंधकों की भूलों और संगठित वर्गों और गुमराह लोगों से उत्पादन, संचालन और वितरण में जो रुकावटें हुई हैं उनसे और भी बिगड़ गई है। उत्पादकों तथा समृद्ध उपभोक्ताओं द्वारा स्टॉक भी जमा किये जा रहे हैं। हमारी जनता के इन सभी वर्गों को यह समझना चाहिये कि यदि हमारे राष्ट्र का ही अस्तित्व न रहा तो हम सब कहां रहेंगे? हिंसा और बंद से स्थिति बिगड़ती ही है; और सबसे अधिक कष्ट होता है गरीब

समुदाय को। जमाखोरी तथा उत्पादन, संचालन और वितरण में रोड़ा अटकाने के प्रयासों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

अनाजों की पर्याप्त मात्रा में वसूली से ही कमी वाले इलाकों तथा समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक प्रणाली से वितरण व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने इस वर्ष खरीफ अनाजों की वसूली कीमतों में काफी वृद्धि की। हालांकि कई राज्यों में चावल की वसूली संतोषजनक है, यह दुर्भाग्य की बात है कि मोटे अनाजों की वसूली तेजी से नहीं हो रही है। खरीफ की वसूली अभी कई महीनों तक चलेगी। सरकार ने विस्तार से एक-एक राज्य की स्थिति का अध्ययन किया है और राज्य सरकार द्वारा जो उपाय किए जाने हैं उनके बारे में उन्हें सलाह दी है। आगामी रबी की वसूली और वितरण में सुधार लाने के लिए इस साल के अनुभवों को पूर्णरूप से ध्यान में रखा जाएगा। मैं राज्य सरकारों से यह बात विशेषरूप से कहना चाहूंगा कि वसूली लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को भली-भांति समझना चाहिए कि जिस मात्रा में राज्य सरकारें अनाज की वसूली करके उसे मुहैया कराती हैं, केन्द्रीय सरकार इसी के अनुसार उसका वितरण कर सकती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को, चाहे वे बेशी वाले राज्य हों या कमी वाले (जहां बेशी वाले क्षेत्र भी हैं), इस मामले को और जमाखोरी तथा तस्करी रोकने पर सर्वाधिक महत्व देना चाहिये।

विश्व मानकों को देखते हुए हमारा तेल का खर्च बहुत कम है। फिर भी, कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से हमें एक साल में आठ सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ विदेशी मुद्रा में उठाना पड़ेगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व चुनौती है।

तेल उत्पादक देशों की इस चिन्ता को हम समझ सकते हैं कि उनके रिजर्व समाप्त न हो जायें। साथ ही, हम यह भी समझते हैं कि वे अपने तेल के निर्यात से प्राप्त राजस्व से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता और मजबूती लाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के क्षेत्र में, जिस पर अब तक तेल कम्पनियों का नियंत्रण था, वे स्वयं महत्वपूर्ण भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम उनका समर्थन करते हैं। तेल निर्यात करने वाले देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर तेल की बढ़ी कीमतों का जो असर पड़ा है उसे पश्चिम एशिया के मित्र देश समझते हैं। हमें इस बात का सुनिश्चय करने के उपाय करने हैं कि इन देशों की यह भावना ठोस रूप में परिणत हो सके। हम तेल उत्पादक देशों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं और हमें आशा है कि पारस्परिक प्रबंधों द्वारा हम उचित हल निकाल लेंगे।

हमारे पास कोयले के संतोषजनक रिजर्व हैं और जलविद्युत शक्ति की विशाल क्षमता है। हमारे पास न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन के लिए उपकरण हैं। हमें आशा है कि

तेल खोज करने के हमारे प्रयास सफल होंगे। थोड़ा समय और जरूरी संसाधन मिलने पर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विकास करने में समर्थ होंगे। लेकिन बीच का समय कठिन होगा जिसमें एक ओर तो हमें पूर्ण अनुशासित ढंग से प्रयास करने होंगे और दूसरी ओर हमारे मित्र देशों को हमारी कठिनाइयों से सहानुभूति रखनी होगी।

सरकार ऊर्जा के अपने देशी स्रोतों का विकास करने तथा निर्यात से अपनी आय बढ़ाने का जोरदार प्रयास कर रही है। इस प्रयास की सफलता के लिए जरूरी है कि ऊर्जा के अपने स्रोतों तथा निर्यात करने की दृष्टि से स्थापित उद्योगों से ज्यादा और अच्छा उत्पादन हो, तेल से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल हो और निर्यात की जाने वाली चीजों के घरेलू उपयोग पर नियंत्रण रखा जाए। मैं जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के साथ पूरा सहयोग दें।

समुद्री तट पर और उससे दूर तेल की खोज तेजी से की जाएगी। तट से दूर एक स्थान पर तेल की खोज शुरू हो गई है तथा इस काम में और तेजी लाई जाएगी। हमने ईरान में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए पहले ही संयुक्त प्रयास शुरू कर दिया है। इराक में तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने संभावित क्षेत्रों में तेल खोजने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जगहों पर भी इस प्रकार के काम विचाराधीन हैं।

बिजली पैदा करने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान यूनिटों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने तथा उन परियोजनाओं को शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनका निर्माण काफी हद तक हो चुका है। इससे बिजली की उपलब्धि में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बहुत सी परियोजनाओं पर काम शुरू करके उन्हें पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं को आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है। विभिन्न थर्मल प्लान्टों के लिए उन कोयला क्षेत्रों को, जहां से कोयला पहुंचाना है, निर्धारित करके विशेष परियोजनाओं के साथ संबंधित कर दिया गया है। कोयला क्षेत्रों, परिवहन और विद्युत संयंत्रों के समन्वित विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। इस विशाल कार्यक्रम के लिए विद्युत उद्योग का पुनर्गठन जरूरी है।

आर्थिक विकास के निर्धारित लक्ष्यों को तेल की बढ़ी कीमतों से अलग रखने के हमारे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जबकि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अच्छी सुविधा हो। खान और रेल विभाग को विभिन्न जरूरतमंद स्थानों पर कोयला पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। राज्य सरकारें अपनी ओर से इस बात का प्रबंध करें कि बिजली तथा सड़कों जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रबंधकों तथा खान और रेलवे में काम करने वाले पन्द्रह लाख श्रमिकों पर एक भारी जिम्मेदारी है। उनके सहयोग से 1974-75 में कोयले का

उत्पादन कम से कम 900 लाख टन तक पहुंच जायेगा और उद्योगों को सुचारु रूप से चलाए रखने के लिए कोयला मिलता रहेगा।

वर्तमान स्थिति में, जनता के प्रति हमारी यह जिम्मेदारी है कि उत्पादन को, विशेषकर अनिवार्य क्षेत्रों में, बनाए रखा जाये। हाल के महीनों में श्रमिकों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इनके बावजूद, हमारे श्रमिक, जिनकी देशभक्ति की गर्वपूर्ण परम्परा है, यह अच्छी तरह जानते हैं कि स्थिति तभी सुधर सकती है जब कि उत्पादन संबंधी सामाजिक कार्य विशाल राष्ट्रीय संदर्श में देखे जाएं। इसलिए श्रमिकों को भरसक प्रयत्न करना है कि उत्पादन बढ़े, संचालन की गति तेज हो और उसमें किसी प्रकार की रुकावट न आए। यही एक रास्ता है जिससे वह जनसाधारण को अभाव से छुटकारा दिलाने में योगदान दे सकते हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में खाद्य और ईंधन की समस्याओं का सामना करने का आधार और कार्यक्रम निहित है। कृषि क्षेत्र की नीति नई तकनीक को लागू करने और उत्पादन के आधार को विस्तार करने पर खड़ी की गई है। इसमें एक ओर सिंचाई के अग्रणी तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया है और दूसरी ओर छोटे किसानों के कार्यक्रमों पर। परिणामतः उत्पादन वृद्धि का वितरण विभिन्न क्षेत्रों और जनता के विभिन्न वर्गों में अधिक व्यापक हो सकेगा। यह योजना बिजली, कोयले, तेल, परिवहन तथा रासायनिक खाद जैसे उद्योगों को विशेष महत्व देती है, जो कृषि के प्राणाधार हैं। कई क्षेत्र में योजना के अधिकांश उत्पादन लक्ष्य इस धारणा पर आधारित हैं कि वर्तमान क्षमताओं का पूरा और अधिक कुशलता से उपयोग होगा। नये निवेश की तरह यह भी योजना का एक अंग है।

पहली बार पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, के विकास के लिए राज्य की योजना के सम्पूर्ण ढांचे में संगठित उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिससे हमारी जनता के सभी वर्गों के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी, आवास, गन्दी बस्तियों की सफाई, ग्रामीण सड़कों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था हो सके और सामाजिक उपभोग के न्यूनतम स्तर तक वे पहुंच सकें। क्षेत्रीय स्तर पर, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, आहार, शिक्षा और समाज कल्याण के अंतर्गत सेवाएं संगठित करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का यह एक माप है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, इस महीने इसकी जनता का पांचवा हिस्सा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में वोट डाल रहा है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे इन चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करायें। हमें इस संबंध में अपने रिकॉर्ड पर गर्व है, क्योंकि स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव स्थायी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सफल लोकतंत्र केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चुनने की स्वतंत्रता हो, बल्कि इस बात पर

भी कि सबको यह विश्वास हो कि आपसी मतभेद के बावजूद, सत्तारूढ़ और विरोधी दलों के लिए एक आधारभूत आचार संहिता का पालन करना जरूरी है जिसमें कि किसी भी रूप में हिंसा और गैर-संवैधानिक तरीकों का कोई स्थान न हो।

इस महीने के शुरू में गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। सभी नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण स्थापित करने में मदद करें जिसमें आत्मसंयम और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा मिले ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष में, हमने विदेश नीति पर प्रभावशाली ढंग से कार्य किया और हमें कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं मिलीं। हमारे पड़ोसी देशों, विशेषरूप से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा* तथा अफगानिस्तान के साथ शांति, मित्रता और आपसी हित के सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

1971 की लड़ाई के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में फंसे लोगों की मानवीय समस्या, भारत और बांग्लादेश द्वारा की गई ऐतिहासिक पहल के परिणामस्वरूप संतोषजनक रूप से सुलझाई जा रही है। पिछले सितम्बर में तीनों देशों में देश प्रत्यावर्तन का काम साथ-साथ शुरू हुआ और इस साल के मध्य से पहले यह काम पूरा हो जाने की आशा है। मेरी सरकार शिमला समझौते के बाकी मुद्दों को लागू करने के लिए पाकिस्तान के साथ विचार-विमर्श के लिए तैयार है। हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान सरकार भी यही चाहती है।

बांग्लादेश के साथ आपसी हित के सभी मामलों पर हमारी निरंतर बातचीत होती रहती है। दोनों देशों की सरकारों ने मित्रतापूर्ण संबंध और वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए ठोस प्रयत्न किए हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश की प्रधान मंत्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री की एक दूसरे देश की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और सहयोग बढ़े हैं। श्रीलंका में सभी भारतीय मूल के लोगों की स्थिति की समस्या का हल अंतिम रूप से निकाल लिया गया है और अन्य प्रश्नों को सुलझाने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है।

हमारी प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा और नेपाल नरेश तथा महारानी की भारत यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच निकट संबंध की प्रतीक है। यह संबंध पारस्परिक विश्वास और समान हितों पर आधारित हैं। हम नेपाल सरकार की इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी जनता के आर्थिक और सामाजिक हितों के लिए काम करने का संकल्प किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि नेपाल सरकार की इच्छानुसार हम इस काम में हिस्सा ले रहे हैं।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

अफगानिस्तान के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग से और बढ़ रहे हैं तथा मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान में ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिनमें हम अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत हिस्सा लेने में समर्थ होंगे।

मार्च, 1973 में, अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान, मैंने इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, थाईलैंड और सिंगापुर की नवम्बर, 1971 की घोषणा का समर्थन किया था। मैंने उस अवसर पर कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया शांति और तटस्थता का क्षेत्र रहना चाहिए। इस क्षेत्र के अन्य देशों से हमने हमेशा यह आग्रह किया है कि हिन्द महासागर बड़े देशों के सैनिक अड्डों से मुक्त रहकर शांति का क्षेत्र रहे। इस बात पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा और पिछले साल अल्जीयर्स में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में बल दिया गया है। इसलिए हमारे लिए यह गहरी चिन्ता और असंतोष का विषय है कि युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका ने हिन्द महासागर के डीगो गार्सिया द्वीप में एक सैनिक अड्डा बनाने पर समझौता किया है। हमारा विचार है कि सैनिक अड्डा कायम करना शांति के हितों के विरुद्ध है। अत: हमारी पूरी आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की इच्छा इस मामले में सर्वोपरि होगी।

हम पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंधों को अत्यधिक महत्व देते हैं। विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक आदान-प्रदान की भूमिका में हम इन संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इराक गणराज्य के साथ समझौता किया है जिसमें इस प्रकार के सहयोग के कई क्षेत्र शामिल हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालने में इराक ने जो अनुकूल रवैया अपनाया वह भारत और इराक के बीच बढ़ती मित्रता का परिचायक है।

हमारा विचार है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक सभी अधिकृत क्षेत्रों से इजराइली सेना नहीं हटा ली जाती, और फिलिस्तीन में अरब जनता को फिर से अधिकार दिलाने की बात तो सर्वविदित है। हाल ही में, कुछ अच्छी घटनायें घटी हैं और हमें आशा है कि पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन से इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता कायम होगी।

हाल ही में, ईरान और हमारे बीच उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डल की यात्राओं से हम दोनों देश एक दूसरे की नीतियों को अधिक अच्छी तरह समझ सके हैं। आपसी हित और सहयोग के अनेक नये मार्ग प्रकट हुए हैं जिनपर सरकार निष्ठा के साथ अग्रसर होगी।

सोवियत संघ के महासचिव श्री ब्रेझनेव नवम्बर, 1973 में भारत की यात्रा पर आए। हमें उनके साथ विचार-विनिमय करने का मौका मिला और हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनसे हमारे संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ा है। इन समझौतों से

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को दीर्घकालीन आधार मिला है। हमें सन्तोष है कि भारत-सोवियत मित्रता और सुदृढ़ हुई है तथा इनके बीच सहयोग के नये आयाम प्रकट हुए हैं।

जून, 1973 में प्रधानमंत्री ने युगोस्लाविया की यात्रा की। अक्तूबर, 1973 में, मैंने रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा की। इस साल के अंत में हमने चेकोस्लोवाकिया के महासचिव डॉ. गुस्ताव हुसाक का स्वागत किया और चेकोस्लोवाकिया के साथ आर्थिक सहयोग पर एक समझौता हुआ। पिछले महीने राष्ट्रपति टीटो की यात्रा से गुटनिरपेक्ष देशों पर असर पड़ने वाली हाल की घटनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय करने का एक और मौका मिला।

हमारी और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों की ओर से समानता और आपसी हित के आधार पर संबंध मजबूत करने के सचेत प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में संयुक्त राज्य के रुपए फण्ड के प्रश्न पर हाल ही में हुआ समझौता इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक समझौता संपन्न होना एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे, इस विशाल समुदाय के साथ हमारे संबंधों की अच्छी शुरुआत हुई है। हमें विश्वास है कि आगामी वर्षों में इस समुदाय और भारत के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

राष्ट्रमण्डल के दो सदस्य देशों—ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड—के प्रधानमंत्रियों की यात्रा के दौरान विचार-विनिमय से विश्व के मामलों पर इन नेताओं के विवेकपूर्ण रवैये, शांति में आस्था और भारत तथा एशिया के अन्य देशों में बढ़ती हुई रुचि का पता चला। जून, 1973 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध निकट और सहयोगपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में तंजानिया की यात्रा की और जंजीबार में क्रांति की दसवीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया। नये राज्य गिनी-विसाओं की स्थापना का हम स्वागत करते हैं, जो उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष में हमारे सुविदित समर्थन के अनुरूप है।

अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ निकट सहयोग, हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सितम्बर, 1973 में, प्रधानमंत्री ने अल्जीयर्स में गुटनिरपेक्ष देशों के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सहमति तथा सदस्य देशों का एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करने के संकल्प का परिचय दिया।

सम्माननीय सदस्यगण! विश्व के देशों में संबंधों के आधार और स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं और इसी प्रकार कई विचार भी, जिन्हें पिछले दो दशकों में महत्व दिया जा रहा है। फिर भी, यह सन्तोष का विषय है कि आजादी के बाद से अब तक हमारी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों को हमेशा समर्थन प्राप्त हुआ है।

इस अधिवेशन में आप अगले वित्तीय वर्ष के अनुदानों की मांगों, गत वर्ष के शेष तथा नये विधायी कार्यों पर विचार करेंगे। सरकार संसद के समक्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी जिससे यह और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। अन्य विधेयकों में से हैं: पांडिचेरी* और हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के विधेयक, संविधान की 9वीं अनुसूची में और संशोधन लाने का एक विधेयक, और कृषि पुनर्वित्त अधिनियम में संशोधन करने का एक विधेयक, जिससे क्षेत्र विकास निगमों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जा सके।

सम्माननीय सदस्यगण! मैं 1974 के कठिन कार्यों के लिए आपका आह्वान करता हूं। राष्ट्र के सामने जो बड़ी चुनौती है उसे कृतसंकल्प जनता ही सुयोग के रूप में बदल सकती है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, निष्ठा और रचनात्मक सहयोग की भावना से आप इस काम में उचित मार्गदर्शन देंगे और यह देश वर्तमान कठिनाइयों को पार करके अपने चुने हुए रास्ते पर और भी मजबूती से और अधिक संगठित होकर आगे कदम बढ़ायेगा।

*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

श्री वी.वी. गिरि